चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/665
दिनांक :– 16.5.2023

अनुस्मारक– प्रथम

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–2024 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठयक्रमों (बी0एड0 पाठयक्रम को छोडकर) को दिनांक 01.07.2023 से सम्बद्धता विस्तारण/नवीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–02 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांकः 512/सत्तर–2–2023–16(11)/2017 टी0सी0 दिनांक 28, फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–2024 के लिये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठयक्रमों (बी0एड0 पाठयक्रम को छोडकर) को प्रारम्भ करने हेतु समय – सारणी निर्धारित की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन महाविद्यालय/संस्थानों की सम्बद्धता दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो रही है अथवा जिन महाविद्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2023 से नवीन पाठयक्रमों में सम्बद्धता हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है, उन समस्त महाविद्यालयों को दिनांक 01.07.2023 से सम्बद्धता विस्तारण/नवीन सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल के द्वारा निरीक्षण आख्या को प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 31 मई, 2023 निर्धारित की गयी है, सदस्य सचिव द्वारा निरीक्षण आख्या आनलाईन अपलोड किये जाने हेतु दिनांक 05 जून, 2023 नियत की गयी है तथा विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 15 जून, 2023 नियत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों/संस्थानों को दिनांक 01.07.2023 से सम्बद्धता विस्तारण/ नवीन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किया जा गया है, वे गठित निरीक्षण मण्डल से सम्पर्क कर संस्थान का निरीक्षण कराते हुए निरीक्षण आख्या सदस्य सचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय में निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिन महाविद्यालयों/संस्थानों की निरीक्षण आख्या निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय को आनलाइन माध्यम से प्राप्त नहीं होती है तो उन महाविद्यालयों/संस्थानों को दिनांक 01.07.2023 में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। जिसका समस्त उत्तर दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का स्वयं का होगा।

संलग्नः– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत समय सारणी।

भवदीय,

16-05-23

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (सदस्य सचिव) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय/अधीक्षक (सम्बद्धता)